## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

\* 045 दूदू (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि —

श्री बाबूलाल नागर, 98 ए, अमृत नगर, मुहाना मण्डी रोड़, मानसरोवर, जयपुर, निर्दलीय उम्मीदवार को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : जयपुर

तारीख: 11.12.2018

हस्ताक्षर

रिटर्निंग ऑफिसर वि

'''''` रिटिनिमे **धार्फसर ब्र्धू (0**4) उपखण्ड **अधिकारी** एव उपखण्ड

दूदू (जयपुर)

## FORM 21 C

## (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the resut of Election Under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union territory) from 045 Dudu (S.C.) Assembly constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Babulal Nagar 98 A, Amrit Nagar, Muhana Mandi Road, Mansarovar, Jaipur contested as Independent has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jaipur

Date: 11-12-2018

Signature ....

राजिन्द्रे (सिंह शेखावत )

Returning Official आकिसर दूद (045)

सपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुद् (जयपुर)